

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसकी प्राथमिक भूमिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निहित भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करना है। एनसीएमईआई के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

मुख्य भूमिकाएँ और कार्य:

1. निर्णायक भूमिका: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (एमईआई) के रूप में संस्थानों की स्थिति पर निर्णय लेता है।
2. अपीलीय भूमिका: अल्पसंख्यक स्थिति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) से संबंधित विवादों के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
3. सलाहकार और अनुशासनात्मक भूमिका: अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित मामलों पर सरकार को सिफारिशें प्रदान करता है।

हाल के घटनाक्रम: 20वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सभी समुदायों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच को बढ़ावा देने में NCMEI के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करने में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी आग्रह किया। आवेदन प्रक्रिया: अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाणपत्र (MSC) प्राप्त करने के लिए, संस्थानों को पहले राज्य सरकार को आवेदन करना होगा। यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है या देरी हो जाती है, तो वे NCMEI2 में अपील कर सकते हैं। आवेदन के लिए सोसायटी पंजीकरण प्रमाणपत्र, एसोसिएशन का ज्ञापन और इस बात का प्रमाण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है कि प्रबंध समिति का बहुमत अल्पसंख्यक समुदाय से है।

आयोग की शक्तियाँ:

एनसीएमईआई के पास किसी संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा रद्द करने का अधिकार है, यदि वह धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया हो या परिस्थितियों में कोई मौलिक परिवर्तन हुआ हो। इसके पास सूचना माँगने और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का भी अधिकार है।

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी)

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) भारत की संसद द्वारा स्थापित एक विशेष समिति है, जो प्रस्तावित कानून या वित्तीय अनियमितताओं जैसे राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट मुद्दों की जाँच करती है। जेपीसी के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

गठन और संरचना:

- गठन: संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने और दूसरे सदन द्वारा उस पर सहमति जताने के बाद जेपीसी की स्थापना की जाती है।
- सदस्य: समिति में लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन) दोनों के सदस्य होते हैं, जो आनुपातिक पार्टी शक्ति को दर्शाते हैं। सदस्यों की संख्या अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आम तौर पर इसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

• तदर्थ प्रकृति: जेपीसी अस्थायी होती हैं और अपना कार्य पूरा होने या अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भंग हो जाती हैं।

कार्य और शक्तियाँ:

• विधेयकों की जाँच: जेपीसी प्रस्तावित कानून की विस्तार से जाँच करती हैं, व्यापक विश्लेषण के लिए हितधारकों, विशेषज्ञों और अधिकारियों से परामर्श करती हैं।

• मुद्दों की जाँच: वे वित्तीय अनियमितताओं जैसे विशिष्ट मुद्दों की जाँच करती हैं और पूछताछ के लिए दस्तावेजों, गवाहों और विशेषज्ञों को बुला सकती हैं।

• सिफ़ारिशें: समिति आगे की चर्चा और कार्रवाई के लिए संसद को सिफ़ारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। हालाँकि सिफ़ारिशें सलाहकारी होती हैं और बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन सरकार को की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर रिपोर्ट देना आवश्यक है³।

हाल का उदाहरण:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" प्रस्ताव की जाँच करने के लिए हाल ही में एक जेपीसी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख सदस्य शामिल हैं और इसे अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है।

मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (HLVM-3)

मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (HLVM-3) भारत के गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजना है। यहाँ HLVM-3 के बारे में कुछ मुख्य विवरण दिए गए हैं:

मुख्य विशेषताएँ:

1. तीन-चरणीय डिज़ाइन: ठोस, तरल और क्रायोजेनिक चरणों को जोड़ता है।
2. पेलोड क्षमता: लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) तक 10 टन तक ले जा सकता है।
3. ऊँचाई और वजन: 53 मीटर लंबा और 640 टन वजनी है।
4. कू एस्केप सिस्टम (CES): वायुमंडलीय उड़ान पृथक्करण तक आपात स्थिति के दौरान भागने का साधन प्रदान करके अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

हाल के घटनाक्रम:

इसरो ने गगनयान मिशन की पहली बिना चालक वाली उड़ान के लिए HLVM-3 की असेंबली शुरू कर दी है। यह भारत की पहली चालक दल वाली अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में एक बड़ा कदम है²। एचएलवीएम-3 में मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अनुकूलित उन्नत विश्वसनीयता और सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं।

महत्व:

HLVM-3 गगनयान मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के विकास के लिए मूल्यवान डेटा और तकनीक प्रदान करता है। क्रू एस्केप सिस्टम (CES) को शामिल करने से आगामी मानवयुक्त मिशनों में आत्मविश्वास काफी बढ़ जाता है।

ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (HLVM-3), जिसे पहले GSLV Mk III के नाम से जाना जाता था, एक अत्याधुनिक रॉकेट है जिसे इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के तहत मानवयुक्त मिशनों के लिए डिज़ाइन किया है। यहाँ अधिक विवरण दिए गए हैं:

तकनीकी विनिर्देश:

- चरण: HLVM-3 एक तीन-चरण वाला वाहन है।
 - पहला चरण (S200): 10,334 kN के संयुक्त थ्रस्ट वाले दो ठोस रॉकेट बूस्टर।
 - दूसरा चरण (L110): हाइपरगोलिक प्रणोदक (तरल ईंधन और ऑक्सीडाइज़र) का उपयोग करके तरल कोर चरण।
 - तृतीय चरण (C25): क्रायोजेनिक ऊपरी चरण तरल हाइड्रोजन (LH2) और तरल ऑक्सीजन (LOX) से संचालित होता है, जो 196 kN का थ्रस्ट प्रदान करता है।

पेलोड और क्षमताएँ:

- LEO तक पेलोड: लगभग 10,000 किलोग्राम।
- GTO तक पेलोड: लगभग 4,000 किलोग्राम।

सुरक्षा और विश्वसनीयता:

- मानव-रेटिंग: चालक दल के मिशनों के लिए कड़े सुरक्षा और विश्वसनीयता मानकों को पूरा करने के लिए संशोधित।
- क्रू एस्केप सिस्टम (CES): आपातकाल के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकालने में सक्षम बनाता है।

गगनयान मिशन:

- उद्देश्य: तीन अंतरिक्ष यात्रियों के दल को तीन दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करके मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना।
- बिना चालक दल की उड़ानें: CES सहित वाहन और प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए प्रारंभिक बिना चालक दल के मिशन।
- प्रशिक्षण: अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

- विकास: HLVM-3 इसरो के लिए एक प्रमुख केंद्र रहा है, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण छलांग है।

- प्रक्षेपण रिकॉर्ड: वाहन ने कई सफल प्रक्षेपण किए हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता स्थापित हुई है।

भविष्य की संभावनाएँ:

- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS): HLVM-3 क्षमताओं का लाभ उठाते हुए एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: संयुक्त मिशनों के लिए अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ संभावित सहयोग।

पर्यावरण और आर्थिक प्रभाव:

- नवाचार: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार में प्रगति को बढ़ावा देता है।
- आर्थिक विकास: वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति को बढ़ाता है, जिससे नए आर्थिक अवसर पैदा होते हैं।

निष्कर्ष:

HLVM-3 मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की आकांक्षाओं की आधारशिला है, जो उन्नत तकनीकी क्षमताओं और अग्रणी अंतरिक्ष मिशनों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस)

अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के तहत 2009 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य जांच, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान, नीति निर्माण और नागरिक सेवाएं प्रदान करने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक सामान्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ना है।

मुख्य उद्देश्य:

1. पुलिस प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण: एफआईआर, जांच और चालान का डिजिटलीकरण।

2. राष्ट्रीय डेटाबेस: अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड का अखिल भारतीय खोज योग्य डेटाबेस बनाना।
3. नागरिक सेवाएँ: शिकायतों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग, तथा पूर्ववर्ती सत्यापन का अनुरोध करने जैसी सेवाएँ प्रदान करना।
4. आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकरण: पुलिस डेटा को आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तंभों, जैसे कि न्यायालय, जेल, अभियोजन, फॉरेंसिक प्रयोगशालाएँ और फिंगरप्रिंट के साथ एकीकृत करना।

हाल ही में हुए विकास:

- अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS): आपराधिक न्याय के मुख्य स्तंभों को एकीकृत करके न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्थापित किया गया।
- यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (ITSSO): यौन अपराधों में पुलिस जांच की निगरानी और ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन उपकरण।
- यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO): पुलिस अधिकारियों द्वारा बार-बार अपराध करने वालों की पहचान करने और अलर्ट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटाबेस।
- Cri-MAC (क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर): जघन्य अपराधों और अंतर-राज्यीय अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए लागू किया गया।

लाभ:

- कुशल जांच: अपराध डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करके त्वरित और अधिक कुशल जांच की सुविधा प्रदान करता है।
- बेहतर समन्वय: विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विभागों के बीच समन्वय में सुधार करता है।
- नागरिक सशक्तिकरण: नागरिकों को अपराधों की रिपोर्ट करने और उनकी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपकरण प्रदान करता है।

चुनौतियाँ:

- डेटा सुरक्षा: सिस्टम में संग्रहीत संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
- कार्यान्वयन: सभी पुलिस स्टेशनों में सिस्टम को लागू करने में तार्किक और तकनीकी चुनौतियों पर काबू पाना।
- प्रशिक्षण: सिस्टम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पुलिस कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना।

पवित्र उपवन

पवित्र उपवन जंगल या प्राकृतिक वनस्पति के टुकड़े हैं जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण सामुदायिक रूप से संरक्षित हैं। ये उपवन अक्सर स्थानीय देवताओं या पूर्वजों की आत्माओं से जुड़े होते हैं और सामाजिक वर्जनाओं और पारंपरिक अनुष्ठानों के माध्यम से संरक्षित किए जाते हैं²। यहाँ पवित्र उपवनों के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

मुख्य विशेषताएँ:

- धार्मिक महत्व: पवित्र उपवनों को देवताओं या आत्माओं का निवास माना जाता है और स्थानीय समुदायों द्वारा इनकी रक्षा की जाती है।
- जैव विविधता: ये उपवन जैव विविधता से समृद्ध हैं और अक्सर दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए शरणस्थली के रूप में काम करते हैं।
- पारंपरिक प्रथाएँ: स्थानीय समुदाय पारंपरिक प्रथाओं, जैसे शिकार, कटाई और शोषण के अन्य रूपों पर रोक लगाकर इन उपवनों को बनाए रखते हैं।
- पारिस्थितिक महत्व: पवित्र उपवन मृदा संरक्षण, जल पुनर्भरण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।

हाल ही में हुए घटनाक्रम:

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकारों को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पवित्र उपवनों को संरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य उनकी कानूनी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है।
- सामुदायिक भागीदारी: न्यायालय ने समुदाय द्वारा संचालित शासन के महत्व और पवित्र उपवनों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया।

उदाहरण:

- राजस्थान में ओरान: ये राजस्थान में पाए जाने वाले पारंपरिक पवित्र उपवन हैं, जिन्हें अक्सर स्थानीय देवताओं से जोड़ा जाता है और ये जैव विविधता से भरपूर हैं।
- मेघालय में मावफलांग: खासी पहाड़ियों में एक प्रसिद्ध पवित्र उपवन, जिसे स्थानीय समुदाय पीढ़ियों से संरक्षित करता आ रहा है।

हाइड्रोथर्मल वेंट

हाइड्रोथर्मल वेंट समुद्र तल पर पाए जाने वाले आकर्षक भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं। वे अनिवार्य रूप से समुद्र तल में दरारें या दरारें हैं जिनसे भूतापीय रूप से गर्म पानी निकलता है¹। हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

गठन:

- स्थान: आमतौर पर ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय स्थानों के पास पाया जाता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें मध्य-महासागर की लकीरों, महासागरीय घाटियों और हॉटस्पॉट पर अलग हो रही हैं।

- प्रक्रिया: ठंडा समुद्री पानी दरारों और दरारों के माध्यम से पृथ्वी की पपड़ी में रिसता है, मैग्मा द्वारा गर्म होता है, और फिर छिद्रों के माध्यम से फिर से उभरता है।

प्रकार:

- ब्लैक स्मोकर्स: आयरन सल्फाइड से भरपूर गहरे रंग के कण उत्सर्जित करते हैं, जिससे चिमनी जैसी संरचनाएँ बनती हैं।
- व्हाइट स्मोकर्स: बेरियम, कैल्शियम और सिलिकॉन से भरपूर हल्के रंग के कण उत्सर्जित करते हैं।

जैविक महत्व:

- केमोसिंथेसिस: हाइड्रोथर्मल वेंट अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों की मेजबानी करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के बजाय केमोसिंथेसिस पर निर्भर करते हैं। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और आर्किया खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं, जो विशाल ट्यूब वर्म, क्लैम और झींगा जैसे विविध जीवों का समर्थन करते हैं।

- आवास: ये पारिस्थितिकी तंत्र सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के बावजूद गहरे समुद्र में सबसे अधिक उत्पादक हैं।

हाल की खोजें:

- आर्कटिक महासागर: हाल ही में किए गए एक अध्ययन में आर्कटिक महासागर में हाइड्रोथर्मल वेंट संरचनाओं में अप्रत्याशित विविधता का पता चला है, जिसमें हाइड्रोजन युक्त वेंट सूक्ष्मजीव जीवन का समर्थन करने की महत्वपूर्ण क्षमता दिखाते हैं।

- हिंद महासागर: भारतीय समुद्र विज्ञानियों ने सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की तस्वीरें खींची हैं, जो खनिज अन्वेषण के लिए नए अवसर प्रदान करके भारत के डीप ओशन मिशन को बढ़ा सकती हैं।

वैज्ञानिक महत्व:

- एस्ट्रोबायोलॉजी: हाइड्रोथर्मल वेंट का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को अन्य महासागरीय दुनिया जैसे बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस पर जीवन के लिए संभावित आवासों को समझने में मदद मिलती है।

- भूवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि: ये वेंट पृथ्वी की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और खनिज जमा के गठन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।

गंगा नदी डॉल्फिन

गंगा नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका), जिसे सुसु या शुशुक के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया की नदियों में पाई जाने वाली एक अनोखी मीठे पानी की डॉल्फिन है, खास तौर पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली नदी प्रणालियों में। इस आकर्षक प्रजाति के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

मुख्य विशेषताएं:

- दिखावट: ये डॉल्फिन आमतौर पर भूरे, चॉकलेटी भूरे, गहरे भूरे या हल्के नीले रंग की होती हैं। उनके पास एक लंबी, पतली थूथन होती है, जिसके दांत नुकीले होते हैं और एक बड़ा तरबूज जैसा सिर होता है, जिसका इस्तेमाल इकोलोकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि वे लगभग अंधे होते हैं¹.
- आकार: वयस्क नर लगभग 2.2-2.6 मीटर लंबे होते हैं, जबकि मादाएं थोड़ी बड़ी होती हैं।
- निवास स्थान: वे मीठे पानी की नदियों में रहते हैं और अक्सर अकेले या छोटे समूहों में पाए जाते हैं।
- व्यवहार: गंगा नदी डॉल्फिन नावों के आसपास शर्मिली होती हैं और शायद ही कभी एक बार में 5-30 सेकंड से ज़्यादा समय के लिए सतह पर आती हैं।

संरक्षण स्थिति:

- लुप्तप्राय: गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट में "लुप्तप्राय" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आवास की कमी, प्रदूषण और मछली पकड़ने के जाल में आकस्मिक उलझाव के कारण उनकी आबादी में भारी गिरावट आई है².
- राष्ट्रीय जलीय पशु: भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता प्राप्त, इस प्रजाति के संरक्षण और सुरक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं।

हाल के घटनाक्रम:

- सैटेलाइट टैगिंग: दिसंबर 2024 में, असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली सैटेलाइट टैगिंग की गई। इस पहल का उद्देश्य उनके मौसमी और प्रवासी पैटर्न, सीमा, वितरण और आवास उपयोग² को समझना है।
- प्रोजेक्ट डॉल्फिन: असम वन विभाग और आरण्यक के सहयोग से भारतीय वन्यजीव संस्थान के नेतृत्व में यह परियोजना भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु के संरक्षण के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

सांस्कृतिक महत्व:

- पौराणिक कथा: गंगा नदी की डॉल्फिन को अक्सर गंगा से जोड़ा जाता है और कभी-कभी इसे देवी गंगा के वाहन के रूप में दर्शाया जाता है

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (SGB) एक सरकारी समर्थित निवेश कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार ने 2015 में भौतिक सोना रखने का विकल्प प्रदान करने के लिए शुरू किया था। इस योजना के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

मुख्य विशेषताएँ:

- सरकारी प्रतिभूतियाँ: SGB सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जो ग्राम सोने में मूल्यांकित होती हैं। इन्हें भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किया जाता है।
- निवेश सीमाएँ: व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) में 1 ग्राम से 4 किलोग्राम सोने के बीच निवेश कर सकते हैं।
- ब्याज दर: SGB प्रति वर्ष 2.5% की सुनिश्चित ब्याज दर प्रदान करते हैं, जिसका भुगतान द्वि-वार्षिक रूप से किया जाता है।
- कर लाभ: SGB पर पूंजीगत लाभ कर-मुक्त होता है, जो उन्हें कर-कुशल निवेश विकल्प बनाता है।
- सुरक्षा: चूँकि SGB को डीमैटरियलाइज़्ड फॉर्म या सर्टिफिकेट के रूप में रखा जाता है, इसलिए वे भौतिक सोने के भंडारण से जुड़े जोखिमों को समाप्त करते हैं।

हाल ही में हुए घटनाक्रम:

- समय से पहले मोचन: हाल ही में, RBI ने SGB 2017-18 की सीरीज XII के समय से पहले मोचन की घोषणा की, जिसमें पिछले तीन कारोबारी दिनों के औसत सोने की कीमत के आधार पर मोचन मूल्य ₹7,673 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया।
- संभावित बंद होना: ऐसी रिपोर्टें हैं जो बताती हैं कि SGB योजना अगले वित्तीय वर्ष (2025-26) से बंद हो सकती है क्योंकि सरकार का लक्ष्य अपने राजकोषीय बोझ को कम करना है।

कैसे निवेश करें:

- जारी करना: SGB को नामित डाकघरों, बैंकों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से बेचा जाता है।
- आवेदन: निवेशकों को एक आवेदन पत्र भरना होगा और KYC अनुपालन के लिए अपना पैन विवरण प्रदान करना होगा।